

भाग-2 (संबन्धित उम वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

(i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र उत्तराखण्ड

(ii) जिला कन्नड़ग

(111) जिला वन प्रभाग *काएगढ़ वन प्रभाग काएगढ़*

(iv) पूर्येक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र 0.540 हे

17. प्रवेशन के लिए पढायाई गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति सिविल एवं सोमन वन प्रेम

18 अपघर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्वति का ब्यंज — चीड़ वृक्ष

(i) घन का प्रकार :- घन-समांतरिक

(11) घनरूपति का औसत पूर्ण घनत्व : 3

(iii) प्रजातिदार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अर्पित धृष्टों की परिगणना संलग्न है

(iv) पर्यवेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली घन भूमि के लिए कार्यक्रमण याजना का नुरख कोई नहीं

19 भूकरण के लिए पूर्वोक्त हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थायिकता और क्षणिकता पर संक्षिप्त टिप्पण भूकरण की स्थायिकता रहे

20 वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी 2.50 कि० मी०

21. वन्य जीवों की दृष्टि से पूर्वोक्त में खमयाग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता पिब्रॉक नदी

(ii) पूर्वोक्त के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीवों का बर्बाद नष्टकरण व-अ जीव विज्ञान 78

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण जैसे क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हथी कोरीडोर वन्यजीव आवास गतिमान आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यार और उपायवद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव बाईन की और टीका टिप्पणियाँ उपायवद्ध की जाएँ) **नहीं**

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैसे क्षेत्र आरक्षण व्याप्त रिजर्व, हाथी गतिवर्धन वृक्षारण्य के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के स्थानीय और मुख्य वन्य जीव बाधन की टीका-टिप्पणियाँ उपायबद्ध की जाएँ) 

(1V) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य जैव क्षेत्र आसन्न व्याप्त विज्ञान, हार्डी गतिविधि वन्य जीव उपस्थिति आदि प्रवेशन के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र का व्योम और मुख्य वन्य जीव वाइल्ड बर्डी टीका-टिप्पणियाँ उपायुक्त की जाएँ।)

(iv) क्या होत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खातः से अलग किसी के खातः की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उससे क्या

22 क्या क्षेत्र में कोई सरक्षित पुरातात्विक या विज्ञान स्थल या प्रातिष्ठानिक स्थापना या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक स्थित है (यदि ऐसा है तो उपाय किए जाने के लिए सहाय प्राधिकारों से अनुरोध प्रमाण-पत्र (एन आर 1) के साथ संलग्न किया है।) **नहीं**

23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित घन भूमि के विस्तार की सुविधासुव्यवस्था के साथ में टीका टिप्पणियाँ : विस्तार हेतु प्रपक से प्रस्ताव प्रस्तुत

(ii) बया भाग- 1 में पैरा 6 और पैरा 7 में प्रणयिता अभिव्यक्ति द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। **अपारिहार्य क्षेत्र प्रणयिता वन नहीं है।**

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षत्र जिसके पुर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिक्रमण के व्यंसे

(j) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिरिक्त में किसी कार्य को किया गया है? ☒/नहीं

(ii) यदि हा. की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अवर्धित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यो) का नाम, पता और पदनाम सहित अतिक्रमण यो, बोरो और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यो) के पिरुद्ध की गई कार्यावाही **नहीं**

(iii) क्या अतिवृष्टि में कार्य अब भी प्रगति में है ~~नहीं~~।

25. क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूर्वक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति। लागू नहीं

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पाटिमेंट या खसरा सफ़्फ़ा क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पट्टामान किए गए गैर वन क्षत्र या अवनत वन क्षेत्रों से धरारे दे। लागू नहीं

(iii) क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाला 150,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामाज्य वन सीमाएं सलग्न है। लगभग 50

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कायन्वयन अभिकरण, समय सूची, तापमान संरचना आदि सहित क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के चयन सलग्न है (हाँ/नहीं)।

(v) क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिचय

लगभग २५

(vi) बाया क्षतिपूर्क वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोण से पहचानने वाले गए क्षेत्र की सुविधासुव्यवस्था के बारे में समस्त रूपाने संरक्षण के प्रमाण-पत्र सलग्न है (हाँ/नहीं)।

26 वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समावात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की सहाय निरीक्षण रिपोर्ट सलग्न है (हाँ/नहीं)।

27 स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिश

स्वीकृति संरक्षक की जादी है

स्थान **काठमांडू**
तारीख

हरतामर नाम **राजकीय मुद्रा**

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा